

2120 *Brosel*
18/05/2022



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121

Northern Region-1 Headquarters, SCO 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002

संदर्भ: पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2120/ 1066

दिनांक: 10.05.2022

18/05/2022

सेवा में,

श्री संजय कुमार पुत्र श्री इलमचंद
C/o पुष्पा देवी, मकान नं. 2/1406/137 B, नवीन नगर,
नियर शिव मंदिर, सहारनपुर -247001, मो. न. 7060334492

विषय : आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2022 (स्पीड पोस्ट दिनांक 26.04.2022) जो कि पावरग्रिड फरीदाबाद कार्यालय में दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी संलग्न अनुलग्न -1 में निहित है। इस अनुसार आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जो भी चेक प्राप्ति स्लिप रिकार्ड में है उनकी प्रति संलग्न है अन्यथा कि चेक प्राप्ति स्लिप उपलब्ध नहीं है।

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

श्री ए.के. मिश्रा, कार्यकारी निदेशक (उ. क्षे.1) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उ. क्षे.1 मुख्यालय,

SCO बे. संख्या 5-10, सेक्टर -16A, फरीदाबाद (हरियाणा)-121002,

फोन नं. 0129-2666301

धन्यवाद।

भवदीय

[राजेश वी.]

मुख्य महाप्रबंधक (पी. ई.एस. एम/परियोजना)

एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

फोन नं. 0129-2666305

TREE COMPENSATION DETAILS OF 400KV ROORKEE SAHARANPUR TRANSMISSION LINE

Sr. No.	Name of farmer/Father's Name/village/tehsil	Total Tree Compensation Paid (In Rs.)	Cheque No/ Name of Bank	Remarks *
1	Sh. Ravinder Singh S/o Sh. Mohkam singh, Chehdi	1578450/=	27869/HDFC	Cheque receipt enclosed
2	Sh. Ankil Kumar S/o Sh. Man Singh Nandi Firojpur	1594630/=	28110/HDFC	Cheque receipt enclosed
3	Sh. Anuj S/o Sh. Tejpal, Nandi Firojpur	1797660/=	28112/HDFC	Cheque receipt enclosed
4	Sh. Charan Singh S/o Dahir Singh, Nandi Firojpur	1210420/=	281124/HDFC	Cheque receipt enclosed
5	Sh. Dhanpal,Netrapal, Omkar and Sitab Singh S/o Sh.Pirthi, Nandi Firojpur	1167340/=	025185/HDFC	Cheque receipt enclosed
6	Sh. Sitab Singh S/o Sh.Pirthi, Nandi Firojpur	1043140/=	025157/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
7	Smt. Sunita W/o Sh. Anil Kumar, Nandi Firojpur	700000/=	025158/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
8	Sh. Sushil Kumar S/o Satpal, Nandi Firojpur	1835600/=	025161/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
9	Mod. Shaheed S/o Mod. Uff Ahmad,Kola	150100/=	28182/HDFC	Cheque receipt enclosed
10	Sh. Sudheer S/o Sh. Sapptar Singh, Kola	197500/=	28185/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
11	Sh. Sandeep Kumar S/o Santram,Kota	171280/=	28177/HDFC	Cheque receipt enclosed
12	Sh. Narendra Kumar S/o Lotiram,Kota	32980/=	28150/HDFC	Cheque receipt enclosed
13	Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Sadhu Singh, Kota	2035280/=	28189/HDFC	Cheque No and bank Name Mentioned
14	Sh. Sandeep Kumar S/o Sh. Hukum Singh, Kota	22210/=	28177/HDFC	Cheque receipt enclosed
Note * : The photocopy of the cheques are not available in this office, however the available receipt of cheque are enclosed.				

प्राप्ति रसीद

पुत्र/पुत्री/पत्नी संतरण निवासी जनपद राजस्थान

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाइन को प्रभावित करने हेतु खड़ा नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाइन के मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरगिड दिना किसी मुआदजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक २४.९.१५

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगठा

४८०के० चौहान / S.K. Chauhan
प्रबन्धक / Manager
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 कोरोनी० उत्तरकाश पुलाना, रुद्रगंगी-२४७६६७
400/220 K.V. Substation Pulana, Roorkee-247667

गवाह के हस्ताक्षर

१ अंगारपाल

2

(2)

प्राप्ति रसीद

पुत्र/पुत्री/पत्नी लाली पं अहर्डे निवासी ओड़ी जनपद मोराया
 ने पॉवरग्रिड से 400 के 0 वी0 रुक्की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 261026/1 के
 004 लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, 100 बैंक का
 चेक सं 28182 दिनांक 19/9/15 रु. 1,50,100/- रुपये (एक लाख पचास हजार टॉम)
(261026/1) प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
 कारपरिशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर छोड़ाई, लाईन के
 मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
 काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज
 सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1. कृष्ण मिश्र
2. जीवा लक्ष्मी


 एस०के० चौहान/C.K. Chauhan
 प्रबन्धक/Manager
 पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 लोटी० लप्केड मुहाना, रुद्रप्री-२४७८६७
 400/220 L.V. Substation Panuna, Rudrapur-247867

(3)

प्राप्ति रसीद

मैं लाइन कोरिडोर पुत्र/पुत्री/पत्नी कुलदीप सिंह निवासी कोटा जनपद आजमगढ़
 ने पॉवरग्रिड से 400 के 0 वी० रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं2602611 के
 नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, 500/- बैंक का
 चेक सं28177 दिनांक 09/09/15 रु22,115/- रुपये ₹ 22,115/- लाईन कोरिडोर
एक बैंक चेक प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
 कार्यपालिका ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं बचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
 मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
 काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज
 शहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक 09/10/15



प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1. पुरीष
2. नीरेश बुजुआ

एसओफो नीरेश बुजुआ
 प्रबन्धक / Manager
 पॉवर ग्रिड कार्यपालिका ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 के०वी० उपकेंद्र पुनाना, राजस्थान-247607
 400/220 K.V. Substation Purnana, Rajasthan-247607

(5)

16

प्राप्ति रसीद

मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नी पुत्र/पत्नी निवासी ७८५ जनपद लखनऊ
 ने पॉवरग्रिड से 400 के ० वी० रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं ३१०-३३१ के
 गोले लाइन कोरिडोर के कटने वाले काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, ५५९ बँक का
 चेक सं ८४८६१५ दिनांक ११.१.१५ रु. १२९२६६० इपये लखनऊ ११७८ सुन्तानक ६७८
च. ८४८६१५ प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड कारपरिशन ऑफ इंडिया लिं. पर बाकी नहीं है।

मैं बचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाईन कोरिडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही छढ़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



दिनांक.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

१३०८

गवाह के हस्ताक्षर

(S)

१

एस.एम. चौहान / S.M. Chauhan
 प्रबंधक / Manager
 पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 कॉम्बो उपकेन्द्र पुहाना, रुड़पी-247667
 400/220 K.V. Substation Puhana, Roorkee-247667

5

प्राप्ति रसीद

पुत्र/पुत्री/पत्नी दलमारी सिंह निवासी जनदी जनपद झटापुर
 ने पॉस्ट में 400 के 0 वी० रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 33/०-१ के
 नीचे लाइन कोरीडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HDFC बैंक का
 चेक 38124 दिनांक 9.9.15 रु० १८।०५०८ रुपये ए८८ मिश्र इस हाई
पार सो लीस प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
 कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिं० पर बाकी नहीं है।

मैं उच्चन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाइन को प्रभावित करने हेतु खड़ा नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर (46 मीटर घौड़ाई, लाइन के मध्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद अविष्य में सत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज राहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

दिनांक १९.१५

आध्यकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगठा

गवाह के हस्ताक्षर

2

एसापक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 कैवली अपकोट पुलाना, रुडकी-247667
400220 K.V. Substation Puhana, Rourkela-247031

(6)

प्राप्ति रसीद

मैं जाकित कुमार पुन्नी/पत्नी माला सिंह निवासी-मकान जनपद गढ़ीगढ़
 ने पॉवरग्रिड से 400 के 0 वी10 रुड़की-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर सं 33/0221 के
 नीचे लाइन कोरीडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HDFC बैंक का
 चेक सं 28110 दिनांक 9.9.15 रु. 4,24,561.00 रुपये एक लाख चार हजार तीन सौ रुपये
टप्पे 61 मैट्रिक्युलेशन प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
 हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
 कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिं. पर बाकी नहीं है।

मैं वचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित हरने हेतु खड़ा
 नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरीडोर (46 मीटर चौड़ाई, लाईन के
 भविष्य से दोनों ओर 23 मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
 काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद
 भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज
 सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी साक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
 जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा
दिनांक 15.9.15

गवाह के हस्ताक्षर

- 1 प्रभुनाथ
- 2 21/9/21

एसओपीओ प्रबन्धना/Manager
 पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिं. 400/220
 Power Grid Corporation of India Limited
 400/220 लोहबील उपकोटि पुहाना, रुड़की-247667
 400/220 K.V. Substation Puhana, Rohtas-247667


7

प्राप्ति रसीद

मैं भरें
पुत्र/पुत्री/पत्नी लोनी ८/५ निवासी १०/२१ जनपद राजस्थान
ने पॉवरग्रिड से 400 के ० वी० रुड़की-सहारनपुर विद्युत परेषण लाईन के टावर सं २५१-२६१ के
नीचे लाईन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, १०८२ रुपूँका
चेक सं २८१९ दिनांक १८/९/१५ रु. ३२,९५० रुपये कलीज ८८८ ७१८१-
३१० ८१४ प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त
हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड
कापरिशन ऑफ इंडिया लि० पर बाकी नहीं है।

मैं घब्बन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा
नहीं रहेगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाईन कोरिडोर (५८ मीटर चौड़ाई, लाईन के
मध्य से दोनों ओर २३ मीटर) में पैदा भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड बिना किसी मुआवजे भुगतान के
काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं बेच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है। यदि कोई विवाद
भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा प्रतिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज
सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया
जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।



प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

1. परमेश. पट
2. ज्ञानेन्द्र पट
मिशन

पॉवर ग्रिड कं. विश्वन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 कैवली उपकर युनाना, रुड़मो-247667
400/220 K.V. Substation Puthana, Roorkee-247667

(8)

प्राप्ति रसीद

मेरविन्दी ८८ पुत्र/पुत्री/पत्नी मोटवां ८८ निवासी मेरविन्दी जनपद लालगढ़ी

मेर पॉवरग्रिड से 400 के० वी० रडिकी-सहारनपुर विद्युत पारेषण लाईन के टावर में 33/5-6 के नीचे लाइन कोरिडोर के कटने वाले /काटे गये प्रभावित वृक्षों के मुआवजे के रूप में, HDFC बैंक का चेक सं 27869 दिनांक २५/७/१५ रु० ८८,८५८ रुपये ८८ पैसे लालगढ़ी उपरोक्त छाल, २१० पैसा ८८ प्राप्त कर लिया है। इस एकमुश्त मुआवजे की प्राप्ति के उपरान्त हमारा उपरोक्त लाईन के कार्य से सम्बंधित किसी प्रकार का वृक्षों के मुआवजे का भुगतान पॉवरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० पर वाकी नहीं है।

मैं बचन देता हूँ कि मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष उपरोक्त लाईन को प्रभावित करने हेतु खड़ा नहीं रहेंगा। अगर मेरे खेत में भविष्य में कोई वृक्ष अपने आप लाइन कोरिडोर में पैता भी होते हैं, तो उन्हें पॉवरग्रिड दिना किसी मुआवजे भुगतान के काटने हेतु स्वतंत्र होगा। उपरोक्त वृक्ष मेरी भूमि में ही खड़े थे, उनका मैं अकेला स्वामी हूँ।

यह भूमि किसी अन्य को नहीं देच रखी है और न ही इस पर कोई विवाद है, यदि कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न होता है अथवा ग्रातिकर गलत प्राप्त कर लिया जाता है, तो उसका प्रार्थी/प्रार्थीगण व्याज सहित वापस कर देंगे और विवादित मामलों में जो भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा वह प्रार्थी/प्रार्थीगण को मान्य होगा।

210 नं लालगढ़ी

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

गवाह के हस्ताक्षर

१. मोटवां ८८

२. मोटवां ८८

प्रदाता का नाम/पद/प्राप्ति
पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया Limited
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 कॉर्टीज उपकेन्द्र यूनियन, लालगढ़ी-247667
400/220 K.V. Substation Panuna, Rohtak-241667